न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 203/2019
आरसीएमएस नं. 2019/00203

1. कृष्णादेवी पुत्री मंशाराम (फौत)
1/1. संतोष पुत्री स्व.राजाराम पत्नि इन्द्राज जाति जाट साकिन गोलूवाला निवादान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
1/2. मुरलीधर पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी मोटासर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
1/3. औमप्रकाश पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी मोटासर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. शारदा पुत्री मंशाराम पत्नि बलवंतराम जाति जाट साकिन चक 4 बी.आर.पी. ढ़ाणी (माणकथेड़ी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. कैलाशदेवी पुत्री मंशाराम पत्नि कृष्णलाल जाति जाट साकिन किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. निर्मलादेवी पुत्री मंशाराम पत्नि दुलीचंद जाति जाट साकिन किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

बनाम

1. इन्द्रा देवी पुत्री मंशाराम पत्नि साहबराम जाति जाट साकिन ठाकरूवाला हाल माणकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कमलादेवी पुत्री मंशाराम पत्नि चुन्नीराम जाति जाट निवासी मानकथेड़ी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. निमरतादेवी पुत्री मंशाराम पत्नि नरेश कुमार जाति जाट साकिन मीरां चौक, एस.बी. बी. रोड़, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2019
द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा ।
अनवान ''कृष्णादेवी आदि बनाम इन्द्रादेवी आदि'', प्र. सं. 89/2009
उपस्थितिः—
श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता अपीलांट
श्री जगराज सिंह भाटी अभिभाषक रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय **दिनांक** 27.7.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बअनवानी ''कृष्णादेवी आदि बनाम इन्द्रादेवी आदि'' मुकदमा नम्बर 89/2009 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 सगी बहनें हैं जो स्वर्गीय मंशाराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी 2 एन.एम. ठाकरूवाला की पुत्रियां एवं वारिसान है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की माता सुगना देवी पत्नी मंशाराम की मृत्यु दिनांक 29.07.2004 को व वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के पिता मंशाराम पुत्र निराणाराम की मृत्यु दिनांक 29.06.2009 को हो चुकी है। वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 का पिता मंशाराम वल्द नारायणाराम का पिता व मंशाराम के भाई जगूराम का पिता यानी वादीगण का दादा नायाणराम जो दूला वल्द रतना जाति जाट का दत्तक पुत्र था। हम वादीगण का पड़दादा दुला वल्द रतनाराम जाति जाट के नाम से वाकै तहसील पदमपुर के चक नं0 26 एम.एल. की मुताबिक नकल जमाबंदी सम्वत 2013 सो चालू के खाता संख्या 20/34 का मु0नं0 8 किला नम्बर 3 ता 10, 13 ता 25 कुल 17 बीघा 15 बिस्वा नहरी मय गैरमुमकिन कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड थी जो उक्त दुला वल्द रतना की मृत्यु पश्चात उसे दत्तक पुत्र नारायण पिसर मुतवना दुला जाति जाट साकिन 26 एम.एल. के नाम से विरास्तन दर्ज हुई एवं यही कृषि भूमि मुताबिक चक 26 एम.एल. का इन्तकाल नम्बर 24 दिनांक 16.12.63 ई. के उक्त नारायण पि.मु. दुला के फौत होने के पश्चात उसके पुत्र मंशाराम, जगूराम पिसरान नारायण जाति जाट साकिन चक 26 एम.एल. के नाम ब.हि.ब. विरास्तन प्राप्त हुई व दर्ज हुई जो हम वादीगण की खानदानी व पैतृक कृषि भूमि थी जिसमें हम वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की मुताबिक हिन्दु विधि के ब.हि.ब. बराबर का हक व हिस्सा जन्म से अपने पिता मंशाराम के बराबर बनता है। हम वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के पिता मंशाराम वल्द नारायणराम ने हम वादीगण की उक्त दावा की दफा–4 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि को जरिये पंजीयनशुदा बैयनामा दिनांक 12.06.1974 ई. के उक्त 17 बीघा 15 बिस्वा में से अपने हिस्सा की 2 बीघा 4 बिस्वा को बहक क्रेता हेतराम पुत्र हरीराम के एवं उसी रोज जरिये पंजीयन शुदा बैयनामा दिनांक 12.06.1974 ई. के 2 बीघा 6½ बिस्वा के बहक लालचंद पुत्र हरीराम जाति अहीर एवं जरिये पंजीयनशुदा बैयनामा दिनांक 12.06.1974 ई. को ही 2 बीघा 2 बिस्वा बहक देवकरण पुत्र नृह सिंह जाति अहीर साकिन घमुड़वाली को इसकी जगह कृषि भूमि खरीदने हेतु बेचान कर दी थी जिसका चक 26 एम.एल. का ई.नं. 12 उक्त क्रेतागण के नाम से तस्दीक दर्ज हो चुका है। दावा की दफा 4 व 5 में वर्णित अनुसार हम वादीगण के पिता मंशाराम पुत्र नारायणराम ने दूसरी जगह जमीन खरीदने हेतु अपनी उक्त जमीन बेचान करके तत्कालीन तहसील सूरतगढ़ का (वर्तमान तहसील पीलीबंगा) का चक 7 बी. आर.पी. का पत्थर नम्बर 29/365 के किला नम्बर 4/.228, .025 खाला, 5/.228, .025 खाला, 6–7/.506, 14 ता 20/1.771, 22 ता 25/1.012 = 3.795 हैक्टेयर नालीमय खाला कृषि भूमि की खरीद की वर्ष 1974 में उक्त अनुसार बेचान की गई कृषि भूमि से प्राप्त राशि से ही हमारे पिता ने अपने नाम से व हमारी माता सुगना देवी के नाम से खरीद की है जिससे यह कृषि भूमि हम वादीगण व

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हमारा जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। हम वादीगण के पिता मंशाराम व हमारी माता सुगना पत्नी मंशाराम ने दिनांक 24.03.77 को श्रीमान ए.एस.ओ. साहब बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 7 बी.आर.पी. का पत्थर नम्बर 29/365 का मु0नं0 26 किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 20, 22 ता 25 की 15 बीघा रकबा खरीद किया होने का कथन किया है जिससे स्पष्ट है कि हमारे पिता मंशाराम ने स्वयं व हमारी माता सुगना के नाम से हमारी चक 26 एम.एल. की पैतृक कृषि भूमि को बेचान कर उन्हीं रूपयों से वर्ष 1974 के बाद व 1977 से पूर्व ही यह चक 7 बी.आर.पी. की 15 बीघा कृषि भूमि खरीद की है जो हमारी पैतृक कृषि भूमि है। मुताबिक तहसील पीलीबंगा के चक 7 बी.आर.पी. की जमाबंदी सम्वत 2062 से चालू के खाता संख्या 43/44 के मु0नं0 26 के पत्थर नम्बर 29/365 के किला नम्बर 4/.228, (.025 खाला), 5/.228, (.025 खाला), 6–7/.506, 14 ता 20/1.771, 22 ता 25/1.012 = 3.795 हैक्टेयर नालीमय खाला कृषि भूमि हम वादीगण के पिता मंशाराम वचल्द नारायणराम व हमारी माता सुगना देवी पत्नी मंशाराम जाति जाट के नाम ब.हि.ब. दर्ज रिकार्ड खातेदारी है जो दावा की दफा 2 ता 6 में वर्णित अनुसार हम वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें हमारा मुताबिक हिन्दू विधि के जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिसकी कोई वसीयत हम वादीगण के उक्त पिता मंशाराम व माता सुगना देवी को करने की कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं था जिससे हमारी माता सुगनी देवी व हमारे पिता मंशाराम ने कभी कोई वसीयत इस कृषि भूमि की नहीं की है जबकि हम वादीगण इस 3.795 हैक्टेयर में से 4/7 हिस्सा ब.हि.ब. की मालिक व खातेदारी होने की घोषणा पाने की हकदार है एवं हम वीदगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से राजस्व रिकार्ड में अच्छी मंदी कृषि भूमि अनुसार खाता अलग करवाने के हकदार हैं। हम वादीगण का हक व हिस्सा की कृषि भूमि हम वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादीगण ने हम वादीगण के खिलाफ एक गुट बना लिया है जो हम वीदगण का उक्त हक व हिस्सा मारने व अन्य व्यक्तियों को रहन बैय आदि करने पर आमादा हैं जबकि प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त खाता व हक व हिस्सा की कृषि भूमि को खाता विभाजन करवाने से पूर्व रहन बैय करने का व हम वादीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने का व हमें क्षति पहुंचाने का कोई हक नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे उक्तानुसार भूमि में से वादीगण को 4/7 हिस्सा का खातेदार मानते हुए खाता अलग करवा देंवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे परन्तु आज से 15 रोज पूर्व वे ऐसा करने से मना हो गये। बस यही बिनाय मुखास्मत दावा है। अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 7 बी.आर.पी. की जमाबंदी सम्वत 2062 से चालू के खाता संख्या 43/44 के मु0नं0 26 के पत्थर नम्बर 29/365 के किला नम्बर 4/.228, (.025 खाला), 5/.228, (.025 खाला), 6–7/.506, 14 ता 20/1.771, 22 ता 25/1.012 = 3.795 हैक्टेयर नालीमय खाला कृषि भूमि वादीगण नम्बर 1 ता 4 को 4/7 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को 3/7 हिस्सा ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में अंकन किया जावे। वादीगण नम्बर 1 ता 4 खाता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से तकसीम कर रकमराज अलग

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अलग कायम किया जावे। वादीगण का खाता अच्छी मंदी कृषि भूमि अनुसार अलग किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि पिता मंशाराम ने खून पसीने की कमाई से चक 7 बी.आर.पी. के पत्थर नम्बर 29/365 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 16, 25 की 10 बिस्वा कुल 7.10 बीघा कृषि भूमि खरीद की थी। माता सुगनी देवी के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का मुताबिक वारिसनामा हक व हिस्सा है। पिता मंशाराम की सेवा चाकरी प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रा देवी द्वारा की गई जिससे खुश होकर पिता मंशाराम ने अपने नाम खरीदशुदा कृषि भूमि चक 7 बी.आर.पी. के पत्थर नम्बर 29/365 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 16, 25 की 10 बिस्वा कुल 7.10 बीघा कृषि भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत इन्द्रा देवी के पक्ष में उप पंजीयक महोदय पीलीबंगा के यहां पंजीयन करवाई गई। मुताबिक वसीयत इन्द्रा देवी चक 7 बी.आर.पी. के पत्थर नम्बर 29/365 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 16, 25 की 10 बिस्वा कुल 7.10 बीघा कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या–1 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादी संख्या–1 के पिता मंशाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी मेहनत व खून पसीने की कमाई से चक 7 बी.आर.पी. के पत्थर नम्बर 29/365 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 16, 25 की 10 बिस्वा कुल 7.10 बीघा कृषि भूमि खरीद की है जिसकी एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 27.07.2005 को पिता मंशाराम द्वारा मिन प्रतिवादी संख्या–1 इन्द्रा देवी के पक्ष में निष्पादित करवाई है। रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त वसीयत जो कि एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसे वादीगण भी स्वीकार करते आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या–1 मुताबिक वसीयत अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या–1 मुताबिक वसीयत मंशाराम के अनुसार चक 7 बी.आर.पी. के पत्थर नम्बर 29/365 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 16, 25 की 10 बिस्वा कुल 7.10 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने व अपना खाता विभाजन करवाने का हकदार है। वाद वादीगण काबिल खारिज के है जिसे मय खर्चा खारिज फरमाया जाकर मिन प्रतिवादी संख्या–1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक वसीयत नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में किया जावे। प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाबदावा पेश कर राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य पेश होने के उपरांत उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर दिनांक 07.10.2019 को निर्णय व डिक्री पारित कर वाद पत्र वादीगण खारिज कर प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया। इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2019 के विरूद्व पेश की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट के पडदादा दुला वल्द रतनाराम के नाम तहसील पदमपुर के चक 26 एम.एल. में 17 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि थी। दुला की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि नारायण पि. मु. दुला के नाम विरास्तन दर्ज हुई तथा नारायण के फौत होने के पश्चात् उपरोक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कृषि भूमि मंशा, जगू पिसरान नारायण के नाम ब.हि.ब. विरास्तन दर्ज हुई। तत्पश्चात् अपीलांट के पिता मंशाराम ने उपरोक्त पैतृक सम्पति दिनांक 12.06.1974 को 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि हेतराम पुत्र हरीराम को व 2 बीघा साढ़े 6 बिस्वा भूमिल लालचंद पुत्र हरीराम को व 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि देवकरण पुत्र नृहसिंह विक्रय कर दी तथा उक्त विक्रयशुदा राशि से अपीलांट के पिता ने अपने नाम व अपीलांट की माता सुगना देवी के नाम से चक 7 बीआरपी के पत्थर नम्बर 29/365 मु0नं0 36 किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 20, 22 ता 25 कुल 15 बीघा भूमि खरीद कीं। उपरोक्त भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा है। पैतृक सम्पति की वसीयत अपीलांट के पिता को कराने की कोई अधिकारिता नहीं थी व अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त पैतृक भूमि साबित की है तथा इस सम्बंध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श 1 से प्रदर्श 13 दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या–1 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व कतई गलत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के सम्बंध में कोई विवेचन नहीं किया, मात्र अपने आदेश में यह विवेचना की कि तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण साबित नहीं कर पाए। अपीलांट ने पैतृक सम्पति होने के सम्बंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रश्नगत भूमि मंशाराम ने स्वयं ने खरीद की हो ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेंट प्रस्तुत नहीं कर सके। रेस्पोडेंट ने अपने जवाबदावा में साढ़े सात बीघा जो माता के नाम से खरीदी गई थी, उसको जद्दी होना स्वीकार किया है तथा मंशाराम के नाम से खरीद की गई भूमि के सम्बंध में प्रतिफल राशि कहां से आई, इस सम्बंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या 1 व 2 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व कर कानूनी गलती की है। विवाधक संख्या–3 जिसको साबित करने का भार रेस्पोडेंट पर था रेस्पोडेंट ने प्रश्नगत भूमि अपनी स्वयं की कमाई से खरीदने के सम्बंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या–3 का निर्णय रेस्पोडेंट के पक्ष में व अपीलांट के विरूद्व कर अहम भूल की है। विवाधक संख्या–4 का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्धारित कर अहम भूल की है। जब प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि साबित है तो मंशाराम व सुगनी देवी दोनों के नाम की भूमि में प्रत्येक का 1/7–1/7 का हिस्सा है। कानूनन पैतृक सम्पति की वसीयत नहीं हो सकती। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 को 1/7–1/7 का खातेदार घोषित किया जावे।

6. रेस्पोडेंट ने बहस में निवेदन किया कि तहसील पदमपुर के चक 26 एमएल की विक्रयशुदा भूमि से व उस राशि में कुछ ओर राशि मिलाते हुए मंशाराम ने अपनी पत्नी सुगनी देवी के नाम से साढ़े 7 बीघा कृषि भूमि खरीद की थी तथा शेष साढ़े 7 बीघा भूमि मंशाराम ने अपनी मेहनत से कमाई कर बनाई है जो पैतृक सम्पति नहीं है बल्कि मंशाराम की स्वःअर्जित सम्पति है। मंशाराम अपने जीवनकाल में अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से अपनी साढ़े सात बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 के पक्ष में वसीयत करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों को देखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है तथा निवेदन किया कि अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।
8. अपीलांट ने तहसील पदमपुर की भूमि विक्रय करने के सम्बंध में रजिस्टर्ड बैयनामेंजात प्रदर्श 9 से प्रदर्श 11 प्रस्तुत किये हैं। उक्त बैयनामंजात दिनांक 12.06.74 के हैं जो मंशाराम द्वारा अपने नाम से भूमि खरीद की गई वह दिनांक 01.07.74 को खरीद की गई है अर्थात 18 दिन पश्चात् भूमि खरीद की गई है जिससे यह साबित होता है कि मंशाराम को जो अपने पिता से विरास्तन भूमि प्राप्त हुई थी उस भूमि को विक्रय कर प्रदर्श डी–1 के जरिये अपने नाम साढ़े 7 बीघा भूमि खरीद की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त भूमि पैतृक होने के सम्बंध में दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये व साक्ष्य के रूप में शारदा देवी, कैलाश देवी रामलाल पुत्र धन्नाराम, भागीरथ पुत्र हिमताराम के बयान करवाये। भागीरथ पुत्र हिमताराम इन्हीं के परिवार का सदस्य है जिसने अपने बयानों में स्पष्ट कथन किये हैं कि विरास्तन प्राप्त भूमि को विक्रय कर प्रश्नगत भूमि खरीद की है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या 1 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व व विवाधक संख्या 3 का निर्णय रेस्पोडेंट के पक्ष में किया है जो गलत है तथा प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि साबित हो जाने के पश्चात प्रश्नगत वसीयत मंशाराम को करने की अधिकारिता नहीं थी इस कारण विवाधक संख्या–4 भी रेस्पोडेंट के पक्ष में गलत निर्धारित किया है। अपीलांट का साढ़े 7 बीघा की बजाए 15 बीघा भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा बनता है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलांट प्रश्नगत भूमि में 1/7–1/7 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।
9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2019 अपास्त किया जाता है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है चक नं. 7 बी.आर.पी. की जमाबन्दी सम्वत 2062 से चालू खाता सं0 43/44 के मु. नं. 26 के प. नं. 29/365 किला नं. 4/.228 (.025 खाला), 5/.228 (.025 खाला), 6–7/.506, 14 ता 20/1.771, 22 ता 25/1.012 कुल 3.795 है0 नालीमय खाला कृषि भूमि में से अपीलाण्ट नं. 1/1 से 1/3 की माता अपीलाट/वादी नं. 1 कृष्णा देवी फौत हो चुकी है जिसका 1/7 हिस्सा के अपीलाण्ट नं. 1/1 से 1/3 ब.हि.ब. खातेदार घोषित किया जाता हे व शेष 6/7 हिस्सा के वादी/अपीलाण्ट नं. 2 ता 4 व प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.7.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़